ग्राम पंचायत सुधेड़, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176217 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सुधेड़, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रथम बार किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधानः–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती रेखा देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री जनम सिंह	01.04.2021 से 02.12.2021
2	श्री रवि कुमार	03.12.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमती अंजू शेख	01.04.2021 से 15.08.2021
2	श्री विवेक कुमार	16.08.2021 से 31.03.2023

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰सं॰	नाम	अवधि
1	श्री राजीव कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत सुधेड़ के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.91
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	36.36
3	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.38
4	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.03
5	8.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना।	8.88
4	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	2.99
5	8.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	1.40
6	8.4	निर्माण कार्य सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.33
7	10	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना	3.92

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत सुधेड के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री राहुल कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.11.2023 से 21.11.2023 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जॉच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:–

वर्ष	आय	व्यय
2021–22	03/2022	11/2021
2022–23	08/2022	05/2022

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/— आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का. /2023/—227 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कैनरा बैंक कजलोट के मल्टीसिटी चैक संख्या 424418 दिनांक 05.12. 2023 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 **(क) वित्तीय स्थितिः—**

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का. /2023/—221 दिनांकः 16.11.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट—1** में भी दिया गया हैः—

1.स्वः—स्त्रोतः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021—22	458041	252976	711017	227030	483987
2022—23	483987	779552	1263539	851031	412508

2.अनुदानः—

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4—5)
1	2	3	4	5	6
2021—22	1860237	6298080	8158317	5127660	3030657
2022—23	3030657	8068828	11099485	7463123	3636362

कुल योग (1+2) 412508+3636362 = 4048870

(ख) बैंक समाधान विवरणी

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से ₹4048870/- तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष ₹4139841/– से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार है:–

	बैंक खातों की विवरणी:–			
क्र	विवरण	बैंक	खाता	अन्त शेष (₹)
1	स्वःस्त्रोत	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	20040016741	0
2	स्वःस्त्रोत	कैनरा बैंक कजलोट	110042398870	466770
3	वी.के.वी.एन.वाई	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50055605057	0
4	वी.के.वी.एन.वाई	कैनरा बैंक कजलोट	110042723423	118869
5	टी.एस.सी/एस.बी.एम	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50055605068	0
6	आई.ए.वाई	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50055604462	0
7	आर.ए.वाई	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50055605411	0
8	5वाँ वित्तायोग	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50055605035	0
9	5वाँ वित्तायोग	कैनरा बैंक कजलोट	110043457703	94081
10	एम.एम.जी.पी.वाई/एम.पी. लेड/एस.डी.पी/एस.डी.आर. एफ	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50055605024	0
11	एम.एम.जी.पी.वाई	कैनरा बैंक कजलोट	110043942182	1122
12	एस.डी.पी	कैनरा बैंक कजलोट	110043457890	612764
13	एम.पी.लेड	कैनरा बैंक कजलोट	119075572011	42666
14	एस.डी.आर.एफ	कैनरा बैंक कजलोट	110043956350	70661
15	14वाँ वित्तायोग	का॰ के॰सह॰ बैंक रैत	50055604916	0
16	15वाँ वित्तायोग	कैनरा बैंक कजलोट	5384101000835	2732485
17	हस्तगत शेष			423
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग:				**₹4139841**
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेष:–				₹4048870

पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–		₹4139841
	अन्तर	90971

नोटः– अन्तर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही शेषों का बैंक शेषों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.91 लाख का अन्तर पाया जाना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सुधेड़ द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹90971/- का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2023/225 दिनांक 20.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके उत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तथा वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा बैंक एवं रोकड बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस–किस कार्य हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व किस–किस कार्य पर कितना–कितना व्यय हुआ है तथा किस कार्य को पूरा किया जा चुका है। यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2023/226 दिनांक– 21/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जा रहे हैं।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबहियाँ/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

5 निवेश न करने बारेः–

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के निधि खाते में अंकेक्षणावधि के दौरान ₹4,58,041 से ₹412508 तक की राशि शेष थी। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2023/226 दिनांकः 21.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21.11.2023 द्वारा भविष्य में अनुपालना का आश्वासन दिया है।

अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 12 (1) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप–1 के अनुसार निवेश रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

6.1 अनुदान की राशि ₹36.36 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०कां/2023/–221 दिनांक 16.11.2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹ 36,36,362/– की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	टी.एस.सी	31.03.2023	11071
2	एम.पी.लेड / एस.डी.पी / एम.एम.जी.पी. वाई / एस.डी.आर.एफ	31.03.2023	668988
3	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2023	174868
4	5वां वित	31.03.2023	48950
5	15वाँ वित्तायोग	31.03.2023	2732485
		कुल जोड	3636362

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते है कि उक्त शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था परन्तु ऐसा न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अतः उक्त शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

6.2 प्राप्त अनुदान के लिये रसीदें जारी न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 5(1 से 3) के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिये इन नियमों में दिये गये प्रारूप–3 मे रसीद जारी करनी आवश्यक है।

ग्राम पंचायत के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेषकर आर.टी.जी.एस./ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई थी। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वितीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरान्त अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.38 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2023/–221 दिनांकः 16/11/2023 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत निम्न तालिका व **परिशिष्ट–"3"** में दिये गये विवरणानुसार सम्पति कर/गृहकर के रूप में ₹38150/– की राशि दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा:–

वितीय वर्ष	अथशेष (₹)	परिवार	गृहकर वार्षिक दर(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	24600	630	50	31500	56100	51750	4350
2022-23	4350	678	50	33900	38250	100	38150
नोटः– दिर्नाक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹ 38150/– है।							

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 गृहकर माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.03 लाख की कम वसूली करना :—

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. के लिये ₹25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनो के भीतर ₹400 (सामान्य) से व ₹50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार 14 विवाह पंजीकृत किये गये, जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से कम राशि वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरो के अनुसार ₹3150 वसूल किये जाने अपेक्षित थे:—

क्र0सं0	नाम	विवाह दिनांक	पंजीकरण दिनांक	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूली गई राशि (₹)	कम वसूली गई राशि(₹)
1.	सतीश कुमार	26.04.21	16.06.21	400	50	350
2	सुमित कुमार	26.04.21	16.06.21	400	50	350
3	संजीव कुमार	27.04.21	03.06.21	400	50	350
4	अजय कुमार	20.06.21	06.07.21	200	50	150
5	सुशील कुमार	07.05.21	20.06.21	400	50	350
6	मनोज कुमार	20.06.21	29.06.21	200	50	150
7	जितेन्द्र सिंह	20.06.21	01.07.21	200	50	150
8	सुरेन्द्र	04.08.21	12.08.21	200	50	150
9	राजन सिंह	20.07.21	12.08.21	200	50	150
10	ऋषि कपूर	21.07.21	12.08.21	200	50	150
11	विकतार सिंह	25.10.21	25.11.21	200	50	150
12	अशीष कुमार	25.10.21	25.11.21	200	50	150
13	विजय कुमार	20.10.21	25.11.21	400	00	400
14	शादिल	22.11.21	25.11.21	200	50	150
			जोड़	3800	650	3150

उक्त कम वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/226 दिनांक: 21/11/2023 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत सुधेड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.4 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष मे निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत सुधेड़ द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क्र0सं0	वितीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि
1.	2021–22	650
2	2022–23	3200
	जोड़	**3850**

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक: राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/226 दिनांक: 21/11/2023 के द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सुधेड़ के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.1 **क्रय किये गये सामान राशि ₹8.88 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना :–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भण्डार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सुधेड़ के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** पर संकलित राशि ₹887795 के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०का/2023/226 दिनांकः 21/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21.11.2023 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियाँ की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये। भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये।

8.2 **निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.99 लाख के स्टॉक का क्रय करना :–**

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित है।

ग्राम पंचायत सुधेड़ के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"4"** में दिए गए विवरणानुसार ₹2,98,686/– का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ०वृ०का/2023/226 दिनांकः 21/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21.11.2023 द्वारा सूचित किया गया भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है।

अतः इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹1.40 लाख की राजस्व हानि :–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹1,39,800/– का अनियमित भुगतान किया गया था। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0का/2023/226 दिनांक: 21.11.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की राशि की कटौती कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है। क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81"खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर नियमानुसार उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.37 लाख का अधिक भुगतान करना:–

1. निर्माण कार्य ड्रेन रास्ता बाबरी से मदन लाल की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया, निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 28782 के पृष्ठ संख्या 34, 35 व 36 में निर्माण सामग्री रेत का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 199, दिनांक 08.06.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 350 CFT का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹3800/– का अधिक भुगतान किया गया:–

क्र0सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यों पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	निधि	रेत	350 CFT	255 CFT	95 CFT	40	3800

Item- P/L (1:4:8) 40MM = 11.83 cu3 X 0.47 (Sand Factor) = 5.56 cu3

Item- P/L (1:3:6) 40MM = 02.83 cu3 X 0.47 (Sand Factor) = 1.33 cu3

Total Quantity = 6.89 cu3 X 35.31+ 5%(variation) =255 cft

2. निर्माण कार्य शमशानघाट डूंगला वार्ड–6 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया, निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 28830 के पृष्ठ संख्या 49,50,57 में निर्माण सामग्री सरिया का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 1173, दिनांक 28.09.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री सरिया (8mm) 190kg , (10mm) 420kg का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹8260 का अधिक भुगतान किया गया:–

क्र0सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यों पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशि
1.	मनरेगा	सरिया(8mm)	190kg	146kg	44kg	53	2332
1.	मनरेगा	सरिया(10mm)	420kg	306kg	114kg	52	5928
					जोड़		8260

Item- 376rmt X 0.39 (8mm Sariya Factor) = 146kg

Item- 494rmt X 0.62 (10mm Sariya Factor) = 306kg

3. निर्माण कार्य कुल्ह त्रिलोकनाथ की जमीन की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया, निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 28830 के पृष्ठ संख्या 86 में निर्माण सामग्री सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 7768, दिनांक 28.09.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 95 बैग का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹11000/– का अधिक भुगतान किया गयाः–

क्र0सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यों पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशि
1.	नरेगा	सीमेंट	95बैग	63बैग	32बैग	343.74	11000

Item- P/L (1:3:6) = 14.25 cu3 X 4.40 (Cement Factor) = 63Bag

4. निर्माण कार्य कुल्ह कुशुम्बर नाला से गांव की ओर की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया, निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 28830 के पृष्ठ संख्या 51, 67 में निर्माण सामग्री सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 11622, दिनांक 09.11.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 146 बैग का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹8800/– का अधिक भुगतान किया गयाः–

क्र0सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यों पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	नरेगा	सीमेंट	146बैग	124बैग	22बैग	400	8800

Item- P/L (1:3:6) = 28.21 cu3 X 4.40 (Cement Factor) = 124Bag

उपरोक्त के अतिरिक्त नरेगा अनुदान के अन्तर्गत ही मै0 शैलेन्द्र राणा चढ़ी को उसके बिल संख्या 193 दिनांक 05.10.21 की एवज में 160 वर्ग फुट शटरिंग हेतु 20 प्रति वर्ग फुट निविदानुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित था। परन्तु उसे 20 प्रति वर्ग फुट न करके 25 प्रति

वर्ग फुट की दर से ₹800 (5X160) का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार से पंचायत द्वारा कुल ₹32660(3800+8260+11000+8800+800) का अधिक भुगतान किया गया था।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–226 दिनांक: 21/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की संबंधित संविदाकार/फर्म से वसूली कर ली जायेगी। दिया गया उत्तर अंकेक्षणापत्ति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि बारे तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 ₹3.92 लाख के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों के समर्थन में निम्न विवरणानुसार राशि ₹3,92,100/– के निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे किये गये व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका:–

क्र0सं0	अनुदान	वाउचर सख्या/दिनांक	निर्माण कार्य का नाम	राशि (₹)
1	मनरेगा	130/08.11.21	नि0 भूसंरक्षण दिवार मंजु लता की जमीन में	19082
2	मनरेगा	131/08.11.21	नि0 भूसंरक्षण दिवार रोहित कुमार की जमीन में	12992
3	मनरेगा	149,150/ 17.11.21	निर्माण गौशाला संसार चन्द की जमीन में	10800
4	मनरेगा	151,152/ 17.11.21	निर्माण गौशाला होशियार सिंह की जमीन मे	10800

5	मनरेगा	153,154 / 17.11.21	निर्माण गौशाला संध्या देवी की जमीन में	10800
6	मनरेगा	174 / 17.11.21	निर्माण लिंक रोड पुली से रक्षा देवी की जमीन	28300
7	मनरेगा	193 / 08.11.21	नि0 भूसंरक्षण दिवार अनिल कुमार की जमीन में	13195
8	मनरेगा	195 / 08.11.21	निर्माण कुल्ह पटयाल कुल्ह मलुण से जैसी भूमि तक	10556
9	मनरेगा	195 / 08.11.21	निर्माण रास्ता बोलो राम के घर से जटेड गांव	17187
10	मनरेगा	निल / 21.05.22	निर्माण कुल्ह पटयाल कुल्ह मलुण से जैसी भूमि तक	94529
11	मनरेगा	निल / 17.05.22	नि0 भूसंरक्षण दिवार अनिल कुमार की जमीन में	25950
12	मनरेगा	निल / 17.05.22	नि0 भूसंरक्षण दिवार कुलदीप कुमार की जमीन में	40200
13	मनरेगा	निल / 17.05.22	नि0 भूसंरक्षण दिवार रोहित कुमार की जमीन में	29700
14	मनरेगा	निल / 17.05.22	नि0 भूसंरक्षण नजदीक श्याम सिंह की जमीन	12971
15	मनरेगा	निल / 17.05.22	नि0 भूसंरक्षण नजदीक किश्न चन्द की जमीन	40460
16	मनरेगा	निल / 17.05.22	नि0 भूसंरक्षण नजदीक ओंकार घर काला पुल की जमीन	14578
			कुल योग	**392100**

उक्त निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव ग्राम पंचायत सुधेड से अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2023 / 226 दिनांक 21 / 11 / 2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21 / 11 / 2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी अंकेक्षण में माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नही पाया गया।

अतः संबंधित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न कर पाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा संलग्न **परिशिष्ट "4"** मे दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई है:–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के **"परिशिष्ट – ई"** में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुधेड़ द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के उप नियम 93 की अवहेलना है।

3. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4. किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5. निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/226 दिनांकः 21/11/2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत सुधेड़ को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21.11.2023 द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अन्तर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/–221 दिनांकः 16/11/2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21/11/2023 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों की नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	वर्गीकृत सार	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5.	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यो की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/-221 दिनांकः 16/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रत्युतर तर्कसंगत नही है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपत्तियां:-

13.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख-रखाव ग्राम पंचायत सुधेड़ द्वारा नही किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत सुधेड़ के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2023/-226 दिनांकः 21/11/2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 42 दिनांक 21/11/2023 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने की अनुपालना की जायेगी।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

06 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

२५५-२५८

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)198 / 2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय लोक लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सुधेड़, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 JAN 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP SUDHED FOR THE YEAR 2021 &2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	458041	252976	711017	227030	483987
2022-23	483987	779552	1263539	851031	412508

2 GRANTS IN AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	1860237	6298080	8158317	5127660	3030657
2022-23	3030657	8068828	11099485	7463123	3636362

Checked

Rahul
(Jr. Auditor)

Secretary
Gram Panchyat Sudher
Dev. Block Rait (Kangra)

21

ANNEXURE – 2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS-IN -AID OF GP SUDHED FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCES
TSC	2021-22	59336	171962	231298	177805	53493
	2022-23	53493	92539	146032	134961	11071
MPLAD/MMG PY/SDP/SDRF	2021-22	453763	536943	990706	321661	669045
	2022-23	669045	1106261	1775306	1106318	668988
VKVNY	2021-22	58741	201634	260375	199922	60453
	2022-23	60453	323179	383632	208764	174868
5TH FC	2021-22	130811	494588	625399	462816	162583
	2022-23	162583	351545	514128	465178	48950
IAY	2021-22	35378	917	36295	36295	0
	2022-23	0	0	0	0	0
RAY	2021-22	54625	1414	56039	56039	0
	2022-23	0	0	0	0	0
14TH FC	2021-22	100885	68963	169848	169848	0
	2022-23	0	0	0	0	0
15TH FC	2021-22	966698	1118385	2085083	0	2085083
	2022-23	2085083	1749283	3834366	1101881	2732485
MGNREGA	2021-22	0	3703274	3703274	3703274	0
	2022-23	0	4446021	4446021	4446021	0

Checked

Rahul (Sr. Auditor)

Secretary
Gram Panchyat Sudhed
Block Rait (Kangra)

22

ग्राम पँचायत सुधेड़ विकास खण्ड रैत, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश– 176217 (परिशिष्ट–"3 " पैरा संख्यां "7.1 " के सन्दर्भ में)

दिनांक 31–03–2023 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2021–22 तथा 2022–23 में 630 तथा 678 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:–

वितीय वर्ष	अग्रशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2021-22	24600	630	50	31500	56100	51750	4350
2022-23	4350	678	50	33900	38250	100	38150
	नोट:– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर की राशि ₹38150/– है।						

Checked
Rahul
(Jr. Auditor)

Secretary
Gram Panchyat Sudher
Dev. Block Rait (Kangra)

23

परिशिष्ट–" 5 "

ग्राम पंचायत सुधेड़ विकास खण्ड रैत , जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना, औपचारिकताओं को पूर्ण किये विना स्टॉक/स्टोर कय करना व संयुक्त हसताक्षर के विना भुगतान करना। पैरा संख्या– " 8.1, 8.2 " में संदर्भित।

अनुदान	वो.स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल.स./ दिनांक	मात्रा/रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि ₹	टिप्पणी
1. मनरेगा	31/ 08.11.21	सरिया 10mm सरिया 12mm सरिया 8mm	1173/ 28.09.21	420kg@52 150kg@51 190kg@53	मै0 कार्तिक हार्डवेयर स्टोर	21840 7650 10070	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
2. मनरेगा	140/ 17.11.21	सीमेंट बैग	7768/ 28.09.21	95@343.74	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई पुहाड़ा	32655	स्टॉक प्रविष्टि
3 मनरेगा	143/ 17.11.21	रेत बजरी	162/ 05.04.21	300cft@42 300cft@41	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	12600 12300	स्टॉक प्रविष्टि
4 मनरेगा	145/ 17.11.21	रेत बजरी	निल/ 05.04.21	200cft@42 200cft@41	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	8400 8200	स्टॉक प्रविष्टि
5 मनरेगा	146/ 17.11.21	रेत बजरी	181/ 05.04.21	170cft@44 330cft@42	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	7480 13860	स्टॉक प्रविष्टि
6 मनरेगा	147/ 17.11.21	सीटस 10'X3'	1607/ 05.04.21	8@800	मै0 जीवन कुमार एंड सन्स बणोई बण्डी	6400	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
7 मनरेगा	148/ 17.11.21	ब्रिक (GST के साथ)	1608/ 05.04.21	500No@8	मै0 जीवन कुमार एंड सन्स बणोई बण्डी	4400	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
8 मनरेगा	149/ 17.11.21	ब्रिक (GST के साथ)	1470/ 05.04.21	500No@8	मै0 जीवन कुमार एंड सन्स बणोई बण्डी	4400	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
9 मनरेगा	150/ 17.11.21	सीटस 10'X3'	1606/ 05.05.21	8@800	मै0 जीवन कुमार एंड सन्स बणोई बण्डी	6400	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
10 मनरेगा	151,154/ 17.11.21	सीटस 10'X3'	1606,1472/ 05.05.21	16@800	मै0 जीवन कुमार एंड सन्स बणोई बण्डी	12800	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
11 मनरेगा	152,153/ 17.11.21	ब्रिक (GST के साथ)	निल,1469/ 05.04.21	1000No@8	मै0 जीवन कुमार एंड सन्स बणोई बण्डी	8800	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
12 मनरेगा	156/ 17.11.21	रेत बजरी	163/ 01.06.21	200cft@42 400cft@41	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	8400 16400	स्टॉक प्रविष्टि
13 मनरेगा	158/ 17.11.21	रेत बजरी	158/ 05.04.21	280cft@42 530cft@41	मै0 शैलेन्द्र राणा चड़ी शाहपुर	11760 21730	स्टॉक प्रविष्टि

26

Secretary
Gram Panchyat Sudher
[illegible] Kangra

14 मनरेगा	159 / 17.11.21	रेत बजरी	106 / 05.06.21	250cft@42 350cft@41	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	10500 14350	स्टॉक प्रविष्टि
15 मनरेगा	160 / 17.11.21	रेत बजरी	105 / 01.06.21	250cft@42 350cft@41	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	10500 14350	स्टॉक प्रविष्टि
16 मनरेगा	161 / 17.11.21	रेत बजरी	164 / 05.04.21	275cft@42 430cft@41	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	11550 17630	स्टॉक प्रविष्टि
17 मनरेगा	162 / 17.11.21	रेत बजरी	157 / 05.04.21	280cft@42 500cft@41	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	11760 20500	स्टॉक प्रविष्टि
18 मनरेगा	164 / 17.11.21	रेत बजरी	160 / 05.06.21	250cft@42 500cft@41	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	10500 20500	स्टॉक प्रविष्टि
19.मनरेगा	165 / 17.11.21	रेत बजरी	172 / 5.6.21	235cft@42 460cft@41	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	9870 18860	स्टॉक प्रविष्टि
20.मनरेगा	167 / 17.11.21	रेत बजरी	154 / 05.06.21	280cft@40 550cft@39	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	11200 21450	स्टॉक प्रविष्टि
21.मनरेगा	168 / 17.11.21	रेत बजरी	153 / 01.06.21	280cft@40 550cft@39	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	11200 21450	स्टॉक प्रविष्टि
22.मनरेगा	169 / 17.11.21	रेत बजरी	184 / 05.09.21	300cft@44 550cft@42	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	13200 23100	स्टॉक प्रविष्टि
23.मनरेगा	170 / 17.11.21	सीमेंट	2992 / 07.8.2021	100@343.74	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई पुहाडा	34374	स्टॉक प्रविष्टि
24.मनरेगा	171 17.11.21	रेत बजरी	186 / 05.04.21	300cft@40 500cft@39	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	12000 19500	स्टॉक प्रविष्टि
25.मनरेगा	170,174 / 17.11.21	रेत बजरी	159 / 05.05.21	400cft@42 800cft@41	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	16800 32800	स्टॉक प्रविष्टि
26.मनरेगा	175 / 17.11.21	सरिया 12mm पाईप 2"	1582 / 28.8.21	99.800kg@64 55.900kg@69	मै0 जीवन कुमार एंड सन्स बणोई बण्डी	6387 3857	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
27.मनरेगा	177 / 17.11.21	रेत बजरी	180 / 25.08.21	140cft@44 270cft@42	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	6160 11340	स्टॉक प्रविष्टि
28.मनरेगा	179 / 17.11.21	सरिया	172 / 20.05.21	178kg@52	मै0 कार्तिक हार्डवेयर स्टोर बणोई बण्डी	9256	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
29.मनरेगा	181 / 17.11.21	रेत बजरी	177 / 20.06.21	240cft@44 460cft@42	मै0 शेलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	10560 19320	स्टॉक प्रविष्टि

30.मनरेगा	निल / 21.05.22	सीमेंट ढुलवाई	207 / 23.12.21	123@30	मै0 शैलेन्द्र राणा चडी शाहपुर	3690	निविदा
31.मनरेगा	निल / 17.05.22	रेत बजरी	निल / निल	176cft@50 350cft@49	मै0 हिमाचल टेडर्स ढडम्ब शाहपुर	8800 17150	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
32.मनरेगा	निल / 17.05.22	रेत बजरी	536 / 01.04.21	248cft@50 513cft@49	मै0 हिमाचल टेडर्स ढडम्ब शाहपुर	12400 25137	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
33.मनरेगा	निल / 17.05.22	रेत बजरी	511 / 18.11..21	250cft@50 500cft@49	मै0 हिमाचल टेडर्स ढडम्ब शाहपुर	12500 24500	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
34.मनरेगा	निल / 17.05.22	रेत बजरी	513 / 19.11.21	300cft@50 300cft@49	मै0 हिमाचल टेडर्स ढडम्ब शाहपुर	15000 14700	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
35.मनरेगा	निल / 17.05.22	रेत बजरी	583,510, 539 / 01.4.21,18.11.21	417cft@50 851cft@49	मै0 हिमाचल टेडर्स ढडम्ब शाहपुर	20850 41699	स्टॉक प्रविष्टि,निविदा
				कुल जोड़		887795	

नोट:- क्रम संख्या :- 1, 6 से 11, 26, 28, 30, 31 से 35 तक की औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है।
2- उपरोक्त कार्यों में निर्माण कार्यों से सम्बंधित नियमों की अनुपालना नहीं की गई है।

Auditor

Secretary
Gram Panchayat Sudher

परिशिष्ट–६

ग्राम पंचायत सुधेड़ खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि (पैरा–"४·३" के सन्दर्भ में)

क्र.	आपूर्तिकर्ता का नाम	वा0स0 / दि0 / वि0स0	मद का नाम	मात्रा (cft/ sq.ft)	मात्रा (Cu.m)	निर्धारित फैकटर	मात्रा मी0टन (MT)	रोयल्टी प्रति (MT)	राशि (₹)
	2021–22								
	अनुदान – समा निधि, मनरेगा								
1.	मै0 शैलेन्द्र राणा चड्डी शाहपुर	36,36 / 2,139, 143,145,146,156,158,159,160,161,162,164, 165,167,168,169,171,172,173,174,177,180, 181 / निल,17, 11. 21 / 199,200,155,162,181,163,158,106,105, 164,157,160,172,154,153,184,186,109,170, 159,180,निल,177	रेत बजरी बोल्डर	5650 9430 —	160 267 —	1.62 1.52 2.24	259 406 —	80 80 80	20720 32480 —
								जोड	53200
								पेनल्टी 25 %	13300
								जोड	66500
	2022–23								
	अनुदान– टी.एस.सी ,5वां वित, एस.डी.आर.एफ,15वां वित,मनरेगा								
2.	मै0 शैलेन्द्र राणा चड्डी शाहपुर	3,4,6–9,निल / 9.5.22,20.5. 22,21.5.22,17. 5. 22 / 224,273,226,281,282,283,280,219,214, 216,213,610,2	रेत बजरी बोल्डर	4790 8930 —	136 253 —	1.62 1.52 2.24	220 384 —	80 80 80	17600 30720 —

Secretary
Gram Panchyat Sudher
Dev. Block Rait (Kangra)

27

		12,201,193,613,616,188,194,210,206,209,211							
								जोड	48320
								पेनल्टी 25 %	12080
								जोड	60400

क.	आपूर्तिकर्ता का नाम	वी0स0 / दि0 / वि0स0	मद का नाम	मात्रा (cft/ sq.ft)	मात्रा (Cu.m)	निर्धारित फैकटर	मात्रा मी0टन (MT)	रोयल्टी प्रति (MT)	राशि (₹)
	2022–23								
	अनुदान – मनरेगा								
3.	मै0 हिमाचल ट्रेडर्स ढड्म्ब शाहपुर	निल / 17.05.22 / निल,511,513,583,510,539	रेत बजरी बोल्डर	1143 1801 —	32 51 —	1.62 1.52 2.24	52 77 —	80 80 80	4160 6160 —
								जोड	10320
								पेनल्टी 25 %	2580
								जोड	12900
								कुल जोड(1+2+3)	139800

verified